भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3222
07 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा (एफएमजीई)

†3222. डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में आयोजित 'विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा' (एफएमजीई) में कठिनाई के बढ़ते स्तर और उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के कम प्रतिशत के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर संज्ञान लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस बात का आकलन किया है कि वर्तमान परीक्षा पैटर्न, पाठ्यक्रम संरेखण और प्रश्नों का प्रारूप वास्तविक विदेशी चिकित्सा स्नातकों को बहुत अधिक प्रभावित कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा एफएमजीई में मानकों को बनाए रखते हुए पारदर्शिता, पूर्वानुमेयता और निष्पक्षता में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने की योजना है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) और अन्य हितधारकों के परामर्श से एफएमजीई कार्य ढ़ांचे की समीक्षा करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ङ): आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) द्वारा राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) या संबंधित राज्य चिकित्सा परिषदों (एसएमसी) में अस्थायी या स्थायी पंजीकरण के इच्छुक विदेशी चिकित्सा स्नातकों (एफएमजी) के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट विनियमों के प्रावधानों के अनुसार विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा (एफएमजीई) आयोजित की जाती है। एफएमजीई में उत्तीर्णता दर कई कारकों पर निर्भर करती है, जिनमें प्रदान की गई चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता, व्यक्तिगत उम्मीदवार के ज्ञान का स्तर और परीक्षा में प्रदर्शन शामिल हैं।

एफएमजीई के सैलेबस में एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए एनएमसी द्वारा प्रकाशित अर्हता-आधारित स्नातक पाठ्यक्रम के अनुसार विषय/ज्ञान क्षेत्र शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त, एफएमजीई के प्रश्न संरचित प्रश्न बैंकिंग और आइटम लेखन कार्यशालाओं के माध्यम से विकसित किए जाते हैं, जिसके बाद विषय विशेषज्ञों के एक अलग समूह द्वारा अधिप्रमाणन कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। प्रत्येक प्रश्न की सामग्री की सटीकता, अनुमोदित सैलेबस से प्रासंगिकता, विश्वसनीयता और वैधता संबंधी समीक्षा की जाती है। समग्र प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि परीक्षा के माध्यम से एमबीबीएस स्नातक के अपेक्षित मानकों को बनाए रखा जा सके और भारतीय स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली में सुरक्षित चिकित्सा-व्यवसाय के लिए आवश्यक ज्ञान और क्षमता का आकलन किया जा सके।

एफएमजीई को पूर्णतया अधिसूचित विनियमों और निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार आयोजित किया जाता है। पात्रता मानदंड, सैलेबस या एफएमजी को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे से संबंधित किसी भी परिवर्तन पर एनएमसी द्वारा समय-समय पर वैधानिक प्रावधानों और हितधारकों की आवश्यकताओं के अनुसार विचार किया जाता है।
